भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2187
09.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति

2187. श्री प्रवीण पटेलः
श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्यनीति और कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं और मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सरकार की जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए इस कार्यनीति के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों और हितधारकों को शामिल करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अद्यतन राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्यनीति और कार्य योजना में वन्य प्रजातियों का सतत उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का प्रबंधन, शहरी निवासियों के लिए हरित स्थानों तक बेहतर पहुंच, जैव-विविधता लाभों का उचित साझाकरण और जैव-विवधता संरक्षण के लिए लोक समर्थन को प्रोत्साहित करना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में संपन्न हुए सीबीडी सीओपी-16 के दौरान जैव-विविधता पोर्टल संबंधी कन्वेंशन के संबंध में दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना को अद्यतन करके और प्रस्तुत किया। यह कार्य योजना पूरी तरह से कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक विविधता रूपरेखा (केएमजीबीएफ), जिसे राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार लागू किया जाना है, के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है।

इस योजना को संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का पालन करते हुए 23 केंद्रीय मंत्रालय, कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठन, समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए पूरे देश में आयोजित एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से

अद्यतन किया गया है। यह जैव-विविधता के संरक्षण के लिए देश के प्रयासों का सारांश प्रस्तुत करता है, उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, कमियों और खतरों की पहचान करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों और परिणामोन्मुखी कार्य बिंदुओं का वर्णन करता है। यह योजना पूरे देश में जैव-विविधता की वर्तमान स्थिति और उसके रुझान, मौजूदा नीतिगत और संस्थागत ढांचे, जैव विविधता व्यय और संभाव्य जैव विविधता वित्त समाधानों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है।

एनबीएसएपी महिलाओं, युवाओं, अपने अधिकारों से वंचित लोगों और समाज के कमजोर वर्गों की प्रभावी भागीदारी, विकेन्द्रीकृत जिम्मेदारियां, अंतरित शक्तियां और प्राधिकार तथा नियोजन और कार्यान्वयन में पीढ़िया के बीच साम्या सुनिश्चित करता है।

भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के अनुरूप है, जिसके 4 उदेश्य और 23 लक्ष्य हैं। यह संरक्षण, संधारणीय उपयोग और लाभ सहभाजन का विस्तृत समाधान करता है और स्थलीय तथा समुद्री क्षेत्रों की रक्षा, अवक्रमित पारि-प्रणाली की पुनर्बहाली और प्रदूषण नियंत्रण एवं तेज़ी से बढ़ने वाली बाहरी पर्यावास की प्रजातियों के प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता के खतरों को कम करने की परिकल्पना करता है। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में प्रजातियों का संरक्षण, जंगली प्रजातियों का संधारणीय उपयोग, पारि-प्रणाली लाभों का बेहतर प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों तक बेहतर पहुँच और पर्यावास विखंडन को कम करने के लिए वन्यजीव गलियारों का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह योजना समावेशी और संधारणीय परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता प्रकिया में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है।

*****